Phone : 0591-2485594

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

1-ए/आई.एन.एस.-1, आवास विकास कालोनी, बौद्ध विहार, दिल्ली रोड, मुरादाबाद

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

1-A/I.N.S.-1, Avas Vikas Colony, Bauddha Vihar, Delhi Road, Moradabad

सन्दर्भ..2189/.....N-13/601/19/General   दिनांक 27/8/19.......

Through E-mail

To,

The Registrar General,
Hon'ble National Green Tribunal,
Principal Bench, New Delhi.

Sub: Regarding filing of Action Taken Report before Hon'ble NGT passed an order dated 24.07.2019 by Hon'ble NGT, New Delhi in O.A. no. 601/2019 Prem Singh & Anr. Vs. M/s Sakar Hari Entt Udyog & Ors.

Sir,

With reference to the above mention subject, please find the enclosed herewith the factual & action taken report. Part-A of the report is related to M/s Sakar Hari Entt Udyog, Vill: Nagala Gujar, Distt. Moraddabad & Part-B of the report is related to M/s Jai Sri Ram Brick Works, Vill: Chirauli, Distt. Sambhal. The Annexure containing total number of pages- 20 (Total pages for Part-A report are 10 & for Part-B report are 10).

With regards

Enclosure: As above.

(Ajay Sharma)
Regional Officer

cc:
1. District Magistrate, Moradabad.
2. District Magistrate, Sambhal.
3. Sri Pradeep Mishra, Advocate for UPPCB.
4. Chief Environmental Officer (C-7), UPPCB, Lucknow.
5. Chief Law Officer, UPPCB, Lucknow.

Regional Officer

PART – A

(M/S SAKAR HARI ENTT UDYOG, VILL: NAGALA GUJAR, TEHSIL: BILARI, DISTT. MORADABAD)

COMPLIANCE REPORT OF ORDER DT 24.07.2019 BY HON'BLE NGT, NEW DELHI IN O.A. NO. 601/2019 PREM SINGH & ANR. VS. M/S SAKAR HARI ENTT UDYOG & ORS.

Hon'ble NGT, New Delhi, vide its order dt 24.07.2019 in O.A. No. 601/2019 Prem Singh & Anr. Vs. M/s Sakar Hari Entt Udyog & Ors., has directed as follows:

"*………… Let a factual and action taken report in the matter be furnished by the Uttar Pradesh State Pollution Control Board (UPSPCB) and the District Magistrate of Sambhal and Moradabad Districts within one month by e-mail at judicial-ngt@gov.in. The nodal agency will be the UPSPCB for coordination and compliance…*"

GENERAL INFORMATION ABOUT THE BRICK KILN:

1. M/s Sakar Hari Entt Udyog is established at Khasara No. 565, 566 & 548 of Vill: Nagala Gujar, Tehsil: Bilari, Distt. Moradabad.
2. As per the certificate of Commercial Tax Deptt., the brick kiln is operated by Mr. Balbir Singh, Mr. Rajveer Singh, Mr. Satvir Singh & Mr. Udayavir Singh. The operation of brick kiln was started on 03.10.2011. (**Annexed as Annexure-1**).
3. The installed capacity of the brick kiln for a production of bricks is 25000 Nos. per day. The main raw materials are clay, sand etc.
4. The said brick kiln has been established without obtaining the Consent To Establish (CTE/NOC) from UPPCB.

5. The application for consent to operate was submitted to the UPPCB on 17.10.2011 for obtaining the air consent under section 21 of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981.
6. The application for CTO was rejected by the Board due to lack of desired information sought from the applicant. (**Annexed as Annexure-2**).
7. The said brick kiln continued its operation without obtaining CTO from the Board despite several notices.

ACTION TAKEN

1. Finding the brick kiln being operated without the CTO, a closure order u/s 31-A of the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981 was issued by the Board vide letter No. H-19132/C-7/Vayu/1147/ bandi adesh/Mora./ 2018 dated 27.04.2018. (**Annexed as Annexure-3**).
2. The said brick kiln was inspected on 19.05.2018 by the officials of UPPCB and Mining Department and again on 22.06.2018 by UPPCB officials. The brick kiln was found in operation on both dates of inspection and it was the clear violation of the closure order, issued by the UPPCB. During the inspection, the operation of brick kiln was stopped by the team.
3. A joint committee, comprising the officials of UPPCB, Revenue Deptt. & Police Deptt. was constituted by ADM (F&R), Moradabad vide letter No. 23/ST/2019-20 dated 10.04.2019 (**Annexed as Annexure-4**). The inspection was carried out on 12.04.2019 by the joint committee and found the brick kiln was in operation. The operation of brick kiln was stopped by filling the water in the trench by the team on the spot. Report of closure is **annexed as Annexure-5**).
4. Due to non compliance of the closure order, issued by the Board, a complaint no. 770/2019 has been filed against the brick kiln by the

UPPCB before Hon'ble Special Court of Judicial Magistrate, Pollution, Lucknow u/s 37 of the Air (Prevention and Control of Pollution), Act 1981 and the matter is under consideration before Hon'ble Court.

Conclusion :

At present the above said brick kiln is closed. As the brick kiln has not obtained consent to operate (CTO) from the Board, it will be ensured that the brick kiln would not start its operation in compliance of closure order issued by the Board.

24.8.19

(Ajay Sharma)
Regional Officer
U.P. Pollution Control Board
Moradabad

24/8/2019

(Rakesh Kumar Singh)
District Magistrate
Moradabad

Annexure - 1

UPVAT - XI

Department of Commercial Taxes, Government of Uttar Pradesh
[See sub-rule (8) and (10) of Rule - 32 of the UPVAT Rules, 2008]

Certificate of Registration and Allotment of TIN

09761004956

M/S SAKAR HARI INT UDYOG whose principal place of business is situated at **VILLAGE-NAGLAGUJAR, P.O. MOHAMMAD SADIKPUR, BILARI,MORADABAD** located in Commercial Tax Circle/Sector **Moradabad (B) / Sector-3, Chandausi, AC** subject to provisions of the Uttar Pradesh Value Added Tax Act, 2007, is hereby registered as a dealer and **09761004956** is allotted as its Taxpayer's Identification Number [TIN]. This Registration Certificate is valid with effect from **03-Oct-2011** till the business is discontinued.

Nature of Business	WholeSaler, Retailer, Manufacturer
Place of branches in U.P. & outside U.P.	1 . VILLAGE- NAGLAGUJAR, P.O. MOHAMMAD SADIKPUR, BILARI, Phone NO: 9557643998
Description of Trade/Commodity	1 . Ceramic building bricks, flooring blocks, support or filler tiles and the like
Prop./Partner/Director Name & Address	1 . BALVEER SINGH, VILLAGE- NAGLAGUJAR, P.O. MOHAMMAD SADIKPUR, BIL 2 . RAJVEER SINGH(AUTH.PERSON), VILLAGE- NAGLAGUJAR, P.O. MOHAMMAI SADIKPUR, BILARI 3 . SATYAVIR SINGH(AUTH.PERSON), VILLAGE- NAGLAGUJAR, P.O. MOHAMMA SADIKPUR, BILARI 4 . UDAYAVIR SINGH(AUTH.PERSON), VILLAGE- NAGLAGUJAR, P.O. MOHAMM/ SADIKPUR, BILARI

Place: Chandausi
Date: 03-Oct-2011

मण्डल- चन्दौसी

Registering Authority
Signature and seal

(के० जी० गुप्ता)
असिस्टेन्ट कमिश्नर वाणिज्य कर
रजिस्ट्रिंग अथॉरिटी
मण्डल चन्दौसी

03/X/11

Annexure-2 (9)
S-89/5

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

'पिकप भवन' तृतीय तल, बी–ब्लाक, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ

(लघु श्रेणी के उद्योगों हेतु सहमति)

संदर्भ संख्या F 99270 /सी-७/विविध/१३०/ वायु प्रदूषण/ मुरा०/२०१२ पंजीकृत

सेवा में, दिनांक 10-2-12

Put with file

मे0 मेसर्स हरि ईंट उद्योग,

ग्राम-नगला गूजर, पोस्ट-सादिकपुर, बिलारी,

मुरादाबाद।

विषयः– वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियत्रंण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 एवं संशोधित अधिनियम, 1987 के अन्तर्गत सहमति के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक आप अपने सहमति आवेदन पत्र/दिनाँक मुहरबन्द, प्राप्ति तिथि- १७.१०.११ का अवलोकन करें। आपके आवेदन पत्र का परीक्षण किया गया और आपका ध्यान निम्न बिन्दुओं संख्या ३,६,११-१३ पर आवश्यक कार्यवाही करने हेतु दिलाया जाता है :–

1– आपका उद्योग प्रदूषित प्रकृति का है तथा आपने प्रदूषण नियंत्रण हेतु कोई पर्याप्त व्यवस्था नही कर रखी है।

2– आपके उद्योग में.............................. संलग्न चिमनी की ऊँचाई अपर्याप्त पाई गई है। उक्त चिमनी की ऊँचाई भूतल/भवन छत से .... मी0 ऊँची की जाय।

3– आप द्वारा फ्लू गैस/प्रक्रिया उत्सर्जन सम्बन्धी वांछित सूचना प्रेषित नहीं की गयी है तथा आपका सहमति आवेदन पत्र अपूर्ण है। आप द्वारा फ्लू गैस/प्रक्रिया उत्सर्जन/वायु गुणता सम्बन्धी अनुश्रवण आख्या भी नहीं प्रेषित की गई हैं।

Imp

14/3/12

4– आपने निर्धारित सहमति शुल्क जमा नही किया है। कृपया आप शेष शुल्क रू0.................. वर्ष.............. .... तक के लिए अविलम्ब जमा करें।

5– वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु व्यवस्था जैसे.............................. का प्राविधान संचालन एवं रख–रखाव इस प्रकार किया जाय, जिससे प्रदूषणकारी अवयवों की मात्रा बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप हो।

6– आपके उद्योग की आडिट की हुई नवीनतम बैलेंसशीट की प्रतिलिपि या चार्टर एकाउन्टेन्ट द्वारा पूर्ण विनियोजन (अचल सम्पत्ति + वर्तमान सम्पत्ति– वर्तमान देनदारियां) का सत्यापन प्रमाण पत्र प्रेषित करने के निर्देश दिये जाते हैं, जिससे कि आपके द्वारा देय सहमति शुल्क की जाँच की जा सके।

7– आप द्वारा बोर्ड के पत्र संख्या.................. /वायु प्रदूषण/.................. दिनांक.................. में दिए गए पूर्व निर्देशों का समुचित अनुपालन नही किया गया है।

8– आप अपने उद्योग व वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु समुचित संयंत्रो के अधिष्ठान एवं संचालन के विषय समयबद्ध कार्यक्रम प्रस्तुत करें।

9– आपको निर्देश दिए जाते हैं कि पत्र की प्राप्ति के............................ माह में फ्लू गैस/प्रक्रिया उत्सर्जन वायु गुणता सम्बन्धी अनुश्रवण आख्या प्रस्तुत करें।

10– आपको निर्देशित किया जाता है कि इस पत्र प्राप्ति के एक/दो माह के अन्दर उपरोक्त वांछित समस्त सूचनाओं सहित पुनः आवेदन करें, अन्यथा उद्योग को बन्द कराने सम्बन्धी विधिक कार्यवाही की जाएगी।

११- ईंट भट्ठा की स्थापना बोर्ड से बिना अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किये की गयी है।

१२- स्थापित ईंट भट्ठे के स्थल का भू-प्रयोग प्रमाण पत्र, जिला उद्यान अधिकारी मुरादाबाद का प्रमाण पत्र तथा जिला पंचायत मुरादाबाद का लाईसेन्स एवं स्थल उपयुक्तता प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।

१३- ईंट भट्ठे के विरूद्ध मा०उच्च न्यायलय, इलाहाबाद में रिट याचिका संख्या ६५८२०/२०११ विपिन कुमार तथा अन्य बनाम् स्टेट आफ यू०पी० तथा अन्य विचाराधीन है।

उपरोक्त परिस्थितियों में, आपको जनहित में प्रदूषित उत्सर्जन के निस्तारण हेतु सहमति प्रदान नहीं की जा सकती है। अतः वायु अधिनियम, 1981 की धारा 21 तथा संशोधित अधिनियम, 1987 के अन्तर्गत आपकी सहमति अस्वीकार की जाती है। आपको यह भी निर्देशित किया जाता है कि आप उपरोक्त के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करें अन्यथा आपके विरूद्ध अधिनियम के अन्तर्गत आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

भवदीय

(जे०एस० यादव)
मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त......-७......................)

पत्रांक.................................. /वायु प्रदूषण तद् दिनांक.........................

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– क्षेत्रीय कार्यालय.. उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मुरादाबाद।

2– विधि अधिकारी (प्रथम)

3– कम्प्यूटर अनुभाग।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त....-७..........................)

Ann. 2(b)

संदर्भ सं. / Ref. No. F78696

सेवा में, क्षेत्रीय अधि... उ०प्र०...

Annexure-3 (a)

389

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

डायरी नं० 389
सीरियल नं०
S-82/15
दिनांक

संदर्भ स0– H19132 / सी–7 / वायु / 1147 / बंदी आदेश / मुरा0 / 2018 दिनांकः– 27-5-18

सेवा में,

पंजीकृत

मेसर्स साकार हरि ईट उद्योग,
ग्राम–नगला गुजर, तहसील–बिलारी,
जनपद–मुरादाबाद।

यह कि मेसर्स साकार हरि ईट उद्योग, ग्राम–नगला गुजर, तहसील–बिलारी, जनपद–मुरादाबाद द्वारा ईट के उत्पादन का कार्य करते हुए उपरोक्त वर्णित स्थल पर कार्यरत है जोकि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 40 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि मेसर्स साकार हरि ईट उद्योग, ग्राम–नगला गुजर, तहसील–बिलारी, जनपद–मुरादाबाद को क्षेत्रीय कार्यालय उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद के पत्रांक 599 / ई–7 / मुरादाबाद / जनरल दिनांक 26.03.2018 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के प्रविधानों के अनुपालन हेतु नोटिस प्रेषित किया गया तथा स्थानीय समाचार पत्रों में दिनांक 28.03.2018 को प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित कराई गई। ईट भटटे द्वारा मिट्टी के खनन हेतु ई0आई0ए0 अधिसूचना के प्राविधानों के अनुसार जिला स्तरीय पर्यावरण संघात निर्धारण प्राधिकरण (डी0ई0आई0ए0ए0) से खनन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति बोर्ड को प्रेषित नही की गयी है। ईट भटटे द्वारा बोर्ड से वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 21 के अन्तर्गत संचालन हेतु सहमति वायु प्राप्त नही की गयी है एवं न ही सहमति प्राप्त किये जाने हेतु आवेदन किया गया है।

यतः मेसर्स साकार हरि ईट उद्योग, ग्राम–नगला गुजर, तहसील–बिलारी, जनपद–मुरादाबाद द्वारा संचालन हेतु वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 21 के अन्तर्गत राज्य बोर्ड से संचालन हेतु पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना अपनी औद्योगिक इकाई का संचालन कर वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 में निहित आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन किया जा रहा है जो कि एक दण्डनीय कृत्य है।

अतः उपरोक्त वर्णित परिस्थितियों में वायु प्रदूषण की रोकथाम व पर्यावरण हित मे जन स्वास्थ्य एवं जन साधारण को स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31–(ए) के अन्तर्गत राज्य बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मेसर्स साकार हरि ईट उद्योग, ग्राम–नगला गुजर, तहसील–बिलारी, जनपद–मुरादाबाद के विरूद्ध निम्नरूपेण बंदी आदेश तत्काल प्रभाव से जारी किए जाते हैः–

1. यह कि मेसर्स साकार हरि ईट उद्योग, ग्राम–नगला गुजर, तहसील–बिलारी, जनपद–मुरादाबाद के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दे।
2. यह कि सक्षम अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि मेसर्स साकार हरि ईट उद्योग, ग्राम–नगला गुजर, तहसील–बिलारी, जनपद–मुरादाबाद को मिलने वाली बिजली, पानी तथा मिलने वाली अन्य सुविधाओं को तुरन्त से बन्द कर दिया जाए।
3. यह कि मेसर्स साकार हरि ईट उद्योग, ग्राम–नगला गुजर, तहसील–बिलारी, जनपद–मुरादाबाद द्वारा संचालन से पूर्व वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 21 के अन्तर्गत सहमति प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(अमित चन्द्रा)
मुख्य पर्यावरण अधिकारी
वृत्त–7

2/–

टी. सी. – 12 वी, विभूति खण्ड
गोमतीनगर, लखनऊ–226010
दूरभाष 272831, 2720828, 2720691, 2720681
फैक्स–0522–2720764
ई–मेःल– info@uppcb.com

T.C. 12 - V, Vibhuti Khand
Gomti Nagar, Lucknow 226010
Phone2720831, 2720828,2720691,2720681
Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.com

1

Annexure 3(b)

पृष्ठांकन संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

<u>प्रतिलिपि</u>– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, मुरादाबाद को इस अनुरोध के साथ कि कृपया मेसर्स साकार हरि ईट उद्योग, ग्राम–नगला गुजर, तहसील–बिलारी, जनपद–मुरादाबाद में संचालन/उत्पादन कार्य तत्काल प्रभाव से बन्द कराये जाने हेतु सम्बन्धित अधिकारी को निर्देशित करना चाहें।
2. अधिशासी अभियंता, मुरादाबाद उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लि0, विद्युत वितरण खण्ड, मुरादाबाद को इस अनुरोध के साथ कि मेसर्स साकार हरि ईट उद्योग, ग्राम–नगला गुजर, तहसील–बिलारी, जनपद–मुरादाबाद का विद्युत विच्छेदन करायें।
3. जिला खनन अधिकारी, मुरादाबाद ।
4. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद को इस निर्देश के साथ कि जारी बन्दी आदेश के अनुपालन हेतु मेसर्स साकार हरि ईट उद्योग, ग्राम–नगला गुजर, तहसील–बिलारी, जनपद–मुरादाबाद को बन्दी आदेश प्राप्त कराकर स्वंय जिला प्रशासन से समन्वय स्थापित कर बन्दी आदेश का तत्काल अनुपालन सुनिश्चित कराकर अनुपालन आख्या अविलम्ब प्रेषित करें एवं सतत बन्दी सुनिश्चित रहने के सम्बन्ध में अनवरत निरीक्षण सुनिश्चित कर आख्या ससमय प्रेषित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
वृत्त–7

Annexure- 4

कार्यालय जिलाधिकारी मुरादाबाद

संख्या 93-2/ एस0टी / 2019-20 दिनांक :- 10.4.19

विषयः- रिट याचिका संख्या 19293/2019 प्रेम सिंह बनाम स्टेट आफ यू0पी0 के संबध में ईट भटटा साकार हरि ईट उधोग को बन्द कराने के संबध में

1- उपजिलाधिकारी बिलारी ।
2- क्षेत्रीय अधिकारी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मुरादाबाद ।
3- खान अधिकारी जनपद मुरादाबाद ।

उपरोक्त विषयक रीजनल आफिसर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जनपद मुरादाबाद के पत्र संख्या 659/मुरादाबाद दिनांक 10-4-2019 के अन्तर्गत अवगत कराया है कि साकार हरि ईट उधोग नगला गूजर, मुरादाबाद प्रदूषण नियंत्रण विभाग की विना अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किये चलाया जा रहा था तथा इसके पास प्रदूषण नियंत्रण विभाग द्वारा जारी किये जाने वाले पर्यावर्णीय स्वीकृति के अभाव में संचालित किये जाने पर दिनांक 27-4-2018 को प्रदूषण विभाग द्वारा पत्रांक एच/19132/सी-7/ऐयर/1147 द्वारा बन्दी के आदेश निर्गत किय गये दिनांक 19-5-2018 को खनन विभाग तथा यू0पी0सी0वी0 की सयुक्त टीम द्वारा बन्दी आदेश के क्रम उक्त ईट भटटा बन्द कराया दिया गया दिनांक 22-6-2018 को पुनः निरीक्षण किये जाने पर उक्त भटटा संचालित पाया गया अतः बन्दी आदेश के उल्लघन की दशा में संबन्धित भटटे के संचालन के लिय जिम्मेदार 4 व्यक्तियो के विरूद्व अभियोग चलाये जाने हेतु संस्तुति उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रेषित की गयी है ।

अतः उपरोक्त के दृष्टिगत आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि विना प्रदूषण नियंत्रण विभाग से अनुमति प्राप्त किये विना आप सयुक्त रूप से उक्त ईट भटटे का संचालन न होने दे तथा क्षेत्रीय अधिकारी प्रदूषण नियंत्रण मुरादाबाद को निर्देशित किया जाता है कि अभियोजन की कार्यवाहीं नियमानुसार पूर्ण कराकर अवगत कराये ।

संलग्नः- यथोपरि

(प्रीति जायसवाल)
अपर जिलाधिकारी(वि0/रा0)
मुरादाबाद ।

प्रतिलिपि :- जिलाधिकारी महोदय मुरादाबाद का सादर सूचनार्थ प्रेषित ।

Preeti
अपर जिलाधिकारी(वि0/रा0)
मुरादाबाद

13/4/19

आप डी

16.4.19

16/4/19

zAcra 1

Annexure-5

क्षेत्रीय कार्यालय
उ0प्र0 राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
मुरादाबाद।

उ0प्र0 राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ के पत्रांक एच–19132/सी–7/वायु/1147 दिनांक 27.04.2018 के अनुक्रम में अपर जिलधिकारी (वि/रा), मुरादाबाद के पत्रांक 23/एसटी/2019–20 दिनांक 10.04.2019 के माध्यम से गठित संयुक्त टीम – श्री विमल कुमार राजपूत, सहा0वैज्ञा0अधिकारी, उ0प्र0प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, श्री आकाश जोशी, प्रयो0सहायक, उ0प्र0प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, श्री अनवार अहमद, राजस्व निरीक्षक, श्री मसूद अख्तर, लेखपाल, तहसील बिलारी तथा श्री सुदेश पाल, उपनिरीक्षक, श्री दीपक तोमर एवं धर्मेन्द्र कुमार, कांस्टेवल, थाना हजरतनगर गढ़ी, जनपद मुरादाबाद श्री रोहिताश कुमार, हेड कांस्टेवल एवं श्री ओमपाल, कांस्टेवल फायर सर्विस के द्वारा आज दिनांक 12.04.2019 को मैसर्स साकार हरि ईंट उद्योग, ग्राम नगला गूजर, तहसील बिलारी, थाना हजरतनगर गढ़ी, जनपद मुरादाबाद के उत्पादन कार्य को भट्ठे में फायर सर्विस के माध्यम से पानी भरवाकर बन्द कराया गया।

(आकाश जोशी) 12/4/19
प्रयो0सहायक
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
जिला मुरादाबाद।

(मसूद अख्तर) 12/04/19
लेखपाल,
तहसील बिलारी
जिला मुरादाबाद।

(अनवार अहमद) 12/04/19
राजस्व निरीक्षक
तहसील बिलारी
जिला मुरादाबाद।

(सुदेश पाल) 12/4/19
उपनिरीक्षक
थाना हजरतनगर गढ़ी
जिला मुरादाबाद।
(सुदेश पाल)
(उप निरीक्षक)
थाना हजरतनगर गढ़ी
जनपद मुरादाबाद
P.N.O. 952140452

विमल कुमार राजपूत, 12/4/19
सहा0वैज्ञा0अधिकारी
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
जिला मुरादाबाद।

थानाध्यक्ष, हजरतनगर गढ़ी को एक प्रति इस अनुरोध के साथ हस्तगत की जा रही है कि भविष्य में भी उक्त ईंट भट्ठे की बन्दी सुनिश्चित की जाये।

GUPTAJI CORRES.\yp

PART – B

(M/S JAI SHRI RAM BRICK WORKS, VILL: CHIRAULI BHAGWANTPUR, TEHSIL & DISTT. SAMBHAL)

COMPLIANCE REPORT OF ORDER DT 24.07.2019 BY HON'BLE NGT, NEW DELHI IN O.A. NO. 601/2019 PREM SINGH & ANR. VS. M/S SAKAR HARI ENTT UDYOG & ORS.

Hon'ble NGT, New Delhi, vide its order dt 24.07.2019 in O.A. No. 601/2019 Prem Singh & Anr. Vs. M/s Sakar Hari Entt Udyog & Ors., has directed as follows:

"………… Let a factual and action taken report in the matter be furnished by the Uttar Pradesh State Pollution Control Board (UPSPCB) and the District Magistrate of Sambhal and Moradabad Districts within one month by e-mail at judicial-ngt@gov.in. The nodal agency will be the UPSPCB for coordination and compliance…"

GENERAL INFORMATION ABOUT THE BRICK KILN:

1. M/s Jai Shri Ram Brick Works has been established at Vill: Chirauli Bhagwantpur, Tehsil & Distt. Sambhal.
2. As per records of UPPCB, the said brick kiln was established in the year 2019 without obtaining the Consent To Establish (CTE/NOC) from UPPCB.
3. The brick kiln engaged in the production of bricks by using clay, sand etc as main raw materials.

₹79

4. The brick kiln has neither applied for nor obtained the Consent To Operate (CTO) under section 21 of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981.

ACTION TAKEN

1. During the construction period of the above brick kiln, a complaint from one Sri Adhar Mohan, R/o Vill: Chirauli Bhagwantpur, Distt. Sambhal was received on 12.12.2018 in the office of UPPCB, Moradabad. **(Annexed as Annexure-1)**
2. Taking cognizance of the said complaint, the inspection was carried out by the officials of UPPCB, Moradabad on 11.02.2019. At the time of inspection, the brick kiln was found under construction without obtaining the NOC from UPPCB and breaching the norms of Uttar Pradesh Brick Kilns (Siting Criteria for establishment) Rules, 2012.
3. A notice was issued by the UPPCB vide letter no. 201/E-7/General dt. 14.02.2019 to stop the construction at the aforesaid site. **(Annexed as Annexure-2)**
4. As the brick kiln did not respond to the notice and started the operation, the closure order under section 31-A of the Air (Prevention and Control of Pollution), Act 1981 was issued by the UPPCB, Lucknow vide letter no. H-39454/C-7/vayu/ 1611/bandi adesh/bij./2019 dated 31.07.2019 against the said brick kiln. **(Annexed as Annexure-3)**
5. The copy of the closure order was served by the UPPCB, Moradabad to the representative of the brick kiln Mr. Mahendra Pal, Partner, on dt. 7.8.2019 for the compliance of the same. The brick kiln was found not in operation due to off-season. **(Annexed as Annexure-4)**

6. A letter has been sent to the Superintendent of Police, Sambhal by UPPCB vide letter No. 2147/J-33/Sambhal dated 21.08.2019 regarding ensuring the closure order, issued by the Board in upcoming season. **(Annexed as Annexure-5).**

Conclusion :

At present the above said brick kiln is closed. As the brick kiln has not obtained consent to operate (CTO) from the Board, it will be ensured that the brick kiln would not start its operation in compliance of closure order issued by the Board.

24.8.19
(Ajay Sharma)
Regional Officer
U.P. Pollution Control Board
Moradabad

24/8/19
(Avinash Krishna Singh)
District Magistrate
Sambhal

Annexure - 1

सेवा मे,

उ0 प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड

बुद्धि विहार मुरादाबाद।

डायरी नं0 927

12-12-18

बिषयः— चिरौली भगवन्तपुर में बन रहे ईट—भटटे के निर्माण को रुकबाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

अपको सूचित कराना है कि ग्राम चिरौली भगबन्तपुर में नये भटटे का निर्माण हो रहा है जोकि प्रदूषण नियम बोर्ड की गाइड लाइन 2012 के अनुरुप कानून का उल्घंन कर रहा है जिससे भविष्य में प्रर्यावरण के हानिकारण होने के कारण ग्रामीणें को सुरक्षा से खिलवाड होने की पूरी सम्भावना है।

अतः आपसे निवेदन है किइस का निर्माण तुरन्त रुकवाने की कृपा करें। आपकी अति कृपा होगी।

दिनांक 08.12.2018

आधार मोहन

प्रार्थी

आधार मोहन पुत्र श्री विसम्बर दयाल शर्मा

नि0 चिरौली भगबन्तपुर थाना बहजोई

तह0 व जनपद सम्भल।

SA

12.12.18

Annexure - 2 (a)

201/E-7/ [illegible]

14/2/19

सेवा में,

मैसर्स जय श्रीराम ब्रिक वर्क्स
ग्राम चिरौली भगवन्तपुर,
तहसील व जनपद सम्भल।

विषयः मैसर्स जय श्रीराम ब्रिक वर्क्स, ग्राम चिरौली भगवन्तपुर तहसील व जनपद सम्भल में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 21 के अन्तर्गत सहमति/अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त किये बिना स्थापित हो रहे ईट भट्ठे के विरूद्ध श्री आधार मोहन पुत्र श्री विशम्भर दयाल शर्मा द्वारा, प्राप्त शिकायत के कम में निरीक्षण आख्या के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक ईंट भट्ठे का निरीक्षण इस कार्यालय के श्री विनोद कुमार अवर अभियन्ता एवं श्री राजीव कुमार, अनु0सहा0 द्वारा दिनांक 11.02.2019 को किया गया। निरीक्षण के समय पाया गया कि उक्त ईंट भट्ठे का स्थल उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 27.06.2012 "उत्तर प्रदेश ईट भट्ठा (स्थापना हेतु स्थलीय मापदण्ड) नियमावली, 2012 के अनुरूप नहीं है एवं ईट भट्ठा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 21 के अन्तर्गत स्थापनार्थ अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त किये बिना स्थापित किया जा रहा है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि वर्तमान स्थल पर ईंट भट्ठे का निर्माण कार्य रूकवाकर उपयुक्त स्थल पर राज्य बोर्ड से पर्यावरणीय दृष्टि से वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 21 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त करने के उपरान्त ही ईंट भट्ठे की स्थापना की जाये अन्यथा की दशा में ईंट भट्ठे के विरूद्ध अभियोजनात्मक कार्यवाही हेतु सक्षम अधिकारी को संस्तुति प्रेषित कर दी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका स्वयं का होगा।

भवदीय

(आर.के. सिंह)
मुख्य पर्या0अधिकारी (अभि0)

प्रतिलिपि–

1. जिलाधिकारी महोदय, सम्भल को सूचनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित
2. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–7), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को उक्त निर्माणाधीन ईंट भट्ठे का दिनांक 11.02.2019 को की गयी स्थलीयं निरीक्षण आख्या संलग्न कर इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि मुख्यालय स्तर से निर्माणाधीन ईंट भट्ठे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 के प्राविधानों के अंतर्गत नियमानुसार कार्यवाही करवाने का कष्ट करना चाहेंगे।
3. अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व), सम्भल को सूचनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. अपर आयुक्त वाणिज्य कर, सम्भल को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त भट्ठे का स्थल "उत्तर प्रदेश ईट भट्ठा (स्थापना हेतु स्थलीय मापदण्ड) नियमावली 2012" के अनुसार न होने के कारण उक्त भट्ठे को वाणिज्य कर विभाग का लाईसेन्स निर्गत न किया जाये।

कृ.प.उ.

BHATTA INSP. & NOTICESguptaji/yp

Ann. 2(b)

5. अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, सम्भल को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त का स्थल "उत्तर प्रदेश ईट भट्ठा (स्थापना हेतु स्थलीय मापदण्ड) नियमावली 2012" के अनुसार न होने के कारण उक्त भट्ठे को जिला पंचायत का लाईसेन्स निर्गत न किया जाये।
6. जिला खनन अधिकारी, सम्भल को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त का स्थल "उत्तर प्रदेश ईट भट्ठा (स्थापना हेतु स्थलीय मापदण्ड) नियमावली 2012" के अनुसार न होने के कारण उक्त भट्ठे को माइनिंग का लाईसेन्स निर्गत न किया जाये।

मुख्य पर्या0अधिकारी (अभि0)

Annexure-3 (a)

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ स0- H39454 /सी-7/वायु/1611/बंदी आदेश/बिज़0/2019 दिनांक:- 31-7-19

सेवा में,

पंजीकृत

मेसर्स जय श्री राम ब्रिक वर्क्स,
ग्रा0 चिरौली भगवन्तपुर, तह0 व
जनपद-सम्भल।

यह कि मेसर्स जय श्री राम ब्रिक वर्क्स, ग्रा0 चिरौली भगवन्तपुर, तह0 व जनपद-सम्भल द्वारा ईंट के उत्पादन का कार्य करते हुए उपरोक्त वर्णित स्थल पर कार्यरत है जोकि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 40 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि मेसर्स जय श्री राम ब्रिक वर्क्स, ग्रा0 चिरौली भगवन्तपुर, तह0 व जनपद-सम्भल का स्थल निरीक्षण राज्य बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय, मुरादाबाद के अधिकारियों द्वारा दिनांक 11.2.2019 को किया गया। निरीक्षण में पाया गया कि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी अधिसूचना दिनॉक 27.06.2012 के अनुसार "उत्तर प्रदेश ईट भट्ठा (स्थापना हेतु स्थल मापदण्ड) नियमावली 2012" में ईंट भट्ठे के लिएं स्थल चयन के निर्दिष्ट मानकों के अनुसार ईट भट्ठे की स्थापना नहीं किया गया है। उक्त निर्माणाधीन ईट भट्ठे के दक्षिण-पूरब दिशा में ग्रा0 चिरौली दूरी लगभग 600मी0 उत्तर-पूरब दिशा में मैसर्स हरिबाबा ईट उद्योग दूरी लगभग 100मी0 उत्तर दिशा में ग्राम मऊभूड दूरी लगभग 1.0 कि0मी0 तथा पश्चिम दिशा में ग्रा0 सैंजना दूरी लगभग 01 कि0मी0 स्थित हैं। ईंट भट्ठे की स्थापना/संचालन हेतु बोर्ड से अनुमति/सहमति प्राप्त नहीं की गयी है। ईंट भट्ठे का स्थल पर्यावरणीय प्रदूषण की दृष्टिकोण से उचित नहीं है।

यत: मेसर्स जय श्री राम ब्रिक वर्क्स, ग्रा0 चिरौली भगवन्तपुर, तह0 व जनपद-सम्भल द्वारा संचालन हेतु वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 21 के अन्तर्गत राज्य बोर्ड से संचालन हेतु पूर्व सहमति प्राप्त किये बिना अपनी औद्योगिक इकाई का संचालन कर वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 में निहित आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन किया जा रहा है जो कि एक दण्डनीय कृत्य है।

अत: उपरोक्त वर्णित परिस्थितियों में वायु प्रदूषण की रोकथाम व पर्यावरण हित मे जन स्वास्थ्य एवं जन साधारण को स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31-(ए) के अन्तर्गत राज्य बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मेसर्स जय श्री राम ब्रिक वर्क्स, ग्रा0 चिरौली भगवन्तपुर, तह0 व जनपद-सम्भल के विरूद्ध निम्नरूपेण बंदी आदेश तत्काल प्रभाव से जारी किए जाते है:-

1. यह कि मेसर्स जय श्री राम ब्रिक वर्क्स, ग्रा0 चिरौली भगवन्तपुर, तह0 व जनपद-सम्भल के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दे।
2. यह कि सक्षम अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि मेसर्स जय श्री राम ब्रिक वर्क्स, ग्रा0 चिरौली भगवन्तपुर, तह0 व जनपद-सम्भल को मिलने वाली बिजली, पानी तथा मिलने वाली अन्य सुविधाओं को तुरन्त से बन्द कर दिया जाए।

AEE/JE2

S.A. Pl. ensure the closure

06.8.19

(अमित चन्द्रा)
मुख्य पर्यावरण अधिकारी
वृत्त-7

/2

टी. सी. - 12 वी. विभूति खण्ड
गोमतीनगर, लखनऊ-226010
दूरभाष 272831, 2720828, 2720691, 2720681
फैक्स-0522-2720764
ई-मेल- info@uppcb.com

T.C. 12 - V, Vibhuti Khand
Gomti Nagar, Lucknow 226010
Phone2720831, 2720828,2720691,2720681
Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.com

(C)

Ann. 3(b)

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, सम्भल को इस अनुरोध के साथ कि कृपया मेसर्स जय श्री राम ब्रिक वर्क्स, ग्रा0 चिरौली भगवन्तपुर, तह0 व जनपद–सम्भल में संचालन/उत्पादन कार्य तत्काल प्रभाव से बन्द कराये जाने हेतु सम्बन्धित अधिकारी को निर्देशित करना चाहें।
2. अधिशासी अभियंता, सम्भल उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लि0, विद्युत वितरण खण्ड, सम्भल को इस अनुरोध के साथ कि मेसर्स जय श्री राम ब्रिक वर्क्स, ग्रा0 चिरौली भगवन्तपुर, तह0 व जनपद–सम्भल का विद्युत विच्छेदन करायें।
3. जिला खनन अधिकारी, सम्भल।
4. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुरादाबाद को इस निर्देश के साथ कि जारी बन्दी आदेश के अनुपालन हेतु मेसर्स जय श्री राम ब्रिक वर्क्स, ग्रा0 चिरौली भगवन्तपुर, तह0 व जनपद–सम्भल को बन्दी आदेश प्राप्त कराकर स्वंय जिला प्रशासन से समन्वय स्थापित कर बन्दी आदेश का तत्काल अनुपालन सुनिश्चित कराकर अनुपालन आख्या अविलम्ब प्रेषित करें एवं सतत बन्दी सुनिश्चित रहने के सम्बन्ध में अनवरत निरीक्षण सुनिश्चित कर आख्या ससमय प्रेषित करें।

मुख्य-पर्यावरण अधिकारी
वृत्त–7

Annexure-4

बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ के पत्रांक H39454/सी-7/वायु/1611/बंदीआदेश/वि0/2019 दिनांक 31-7-19 के द्वारा मैसर्स जय श्रीराम ब्रिक वर्क्स, ग्राम-चिरौली भगवतपुर, तह0 व जनपद-सम्भल के विरुद्ध जारी बन्दी आदेश के क्रम में निरीक्षण दिनांक 07-08-19 को किया गया। निरीक्षण के समय श्री महेन्द्र पाल उद्योग प्रतिनिधि के रूप उपस्थित थे। निरीक्षण के समय ईंट भट्ठा बन्द पाया गया। बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक दिनांक 31-7-19 की छायाप्रति उद्योग प्रतिनिधि को प्राप्त करायी गयी एवं बोर्ड द्वारा जारी बन्दी आदेश दिनांक 31-7-19 का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया। उद्योग प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक दिनांक 31-7-19 द्वारा जारी बन्दी आदेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा एवं भट्ठे का संचालन राज्य बोर्ड से सहमति प्राप्त करने के पश्चात ही किया जायेगा। उद्योग प्रतिनिधि द्वारा प्रमाण स्वरूप हस्ताक्षर बनाया गया।

Anil K 07-08-19
(अनिल कुमार विश्वकर्मा)
वैज्ञा० सहा०
क्षेत्रीय कार्यालय
उ0प्र0प्र0 नि0 बोर्ड
मुरादाबाद

महेन्द्रपाल

(महेन्द्र पाल)
(पार्टनर)
मैसर्स जय श्रीराम ब्रिक वर्क्स
ग्राम-चिरौली भगवतपुर
तह0 व जनपद-सम्भल।

Annexure- 5

2147/J-33/संभल

21/08/19

सेवा में,

पुलिस अधीक्षक,
जनपद सम्भल।

विषय– मैसर्स जय श्री राम ब्रिक वर्क्स, ग्राम चिरौली भगवन्तपुर, तहसील व जिला सम्भल के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 31 ए के अन्तर्गत जारी बन्दी आदेश दिनांक 31.07.2019 के अनुपालन के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक एच–39454/सी–7/वायु/1611/बंदी आदेश/बिज./2019 दिनांक 31.07.2019 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें (पत्र की छायाप्रति संलग्न)। उक्त पत्र के माध्यम से ईंट भट्ठा मैसर्स जय श्री राम ब्रिक वर्क्स, ग्राम चिरौली भगवन्तपुर, तहसील व जिला सम्भल के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 31 ए के अन्तर्गत बन्दी आदेश जारी किया गया है, जिसकी प्रति जिलाधिकारी महोदय, सम्भल को इस अनुरोध के साथ प्रेषित की गयी है कि संदर्भित ईंट भट्ठे का संचालन/उत्पादन कार्य तत्काल प्रभाव से बन्द कराये जाने हेतु सम्बन्धित अधिकारी को निर्देशित करना चाहेंगे।

उक्त बन्दी आदेश दिनांक 31.07.2019 के अनुपालन में ईट भट्ठे का निरीक्षण इस कार्यालय के वैज्ञानिक सहायक श्री अनिल कुमार विश्वकर्मा द्वारा दिनांक 07.08.2019 को किया गया। निरीक्षण के समय ईंट भट्ठा ऑफ सीजन के कारण बंद पाया गया। उपस्थित ईट भट्ठा प्रतिनिधि श्री महेन्द्र पाल, पार्टनर को बन्दी आदेश दिनांक 31.07.2019 की छायाप्रति प्राप्त करा दी गयी है एवं बन्दी आदेश का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने हेतु ईंट भट्ठा प्रतिनिधि को निर्देशित कर दिया गया है।

आपसे अनुरोध है कि उक्त ईंट भट्ठे में आगामी सत्र में उत्पादन कार्य प्रारम्भ न किये जाने एवं बन्दी आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु सम्बन्धित थानाध्यक्ष को निर्देशित करने का कष्ट करें।

भवदीय

(अजय शर्मा)
क्षेत्रीय अधिकारी

संलग्नक– उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि–

1. जिलाधिकारी महोदय, सम्भल को सूचनार्थ प्रेषित।
2. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–7), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
3. उप जिलाधिकारी, तहसील सदर, जनपद सम्भल को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. थानाध्यक्ष, बहजोई, जनपद सम्भल को आवश्यक कार्यवाही हेतु।

क्षेत्रीय अधिकारी

BHATTA INSP. & NOTICES